आनंद मोहन
भूमि तथा विकास अधिकारी

"अपील"

14 सितम्बर, 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया था। हिन्दी हमारे संकल्प, संघर्ष और विकास की घोतक है। यह हमारे राष्ट्रीय गौरव, सांस्कृतिक निधि एवं दार्शनिक चिन्तन–मनन की पहचान है और आज जनमानस की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बन चुकी हैं।

संवैधानिक प्रावधानों में सरकारी काम–काज में हिन्दी का उपयोग करने की अपेक्षा की गई है। अतः सरकारी काम–काज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने का उत्तरदायित्व केवल हिन्दी राजभाषा से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों का ही नहीं है बल्कि हम सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का भी है।

हिन्दी नियमों/अधिनियमों को संवैधानिक शक्ति प्राप्त है। आइए, हम सब लोग शपथ लें कि इस दायित्व को बखूबी निभाते हुए हिन्दी राजभाषा के विकास में अपना सहयोग देंगे। हिन्दी में काम करना बहुत सरल है। इस दिशा में हमारे अधिकारीगण राजभाषा का स्वंय सरकारी काम–काज में अधिकाधिक प्रयोग करके अधीनस्थ कर्मचारियों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन्हें इसके प्रयोग हेतु प्रोत्साहित कर सकते हैं।

(आनंद मोहन)

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर